8/9/25 पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर याचित किया गया है कि चक 11 HMH खाता सं. 14/13 में वादी का नाम रॉपल सिंह वल्द सहदेव सिंह दर्ज है जबकि वादी का सही नाम रायसिंह वल्द सहदेव सिंह है इसलिए इसी अनुसार दुरुस्ती की जावे।

वादपत्र दर्ज कर तहसीलदार से मौका Report प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक LR/25/2984 दिनांक 12/8/25 द्वारा अवगत करवाया गया है कि रॉपलसिंह व रायसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि का वादपत्र में अंकित तथ्यों से मिलान किया गया।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका Report से वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है लिहाजा वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 11 HMH खाता सं. 14/13 में दर्ज खातेदार रॉपलसिंह की जगह रायसिंह दर्ज कर नाम दुरुस्ती की जावे। शेष प्रविष्टियां रखी यथावत जावे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया। [signature]

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़